न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2021(2021/115)

1. हेमेन्द्रसिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह
2. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह
3. श्रीमती आशाकंवर पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह

सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख सावर जिला अजमेर।
2. जतनकंवर पत्नी श्री महेन्द्रप्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सावर तहसील सावर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री हेमन्त जैन वकील— प्रार्थी
श्री तहसीलदार सावर—पैरोकार सरकार — अप्रार्थी

आदेश

दिनांक—25.4.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ग्राम सावर के निवासी है प्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1337/1538 रकबा 2.42हैक्टर किस्म बारानी—2, प्रार्थी संख्या 2 की खसरा नंबर 1337 रकबा 2.42 हैक्टर किस्म बारानी—3 तथा प्रार्थी संख्या 3 की आराजी खसरा नंबर 1574/1337 रकबा 0.96 वाके ग्राम गोरधा तहसील सावर में स्थित है। उक्त आराजीयात में से प्रार्थी संख्या 1 की आराजीयात खसरा नम्बर 1337/1538 के लगवा खसरा नम्बर 1337/1539 की आराजीयात स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 की है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी का कुल रकबा 3.72हैक्टर किस्म बारानी—2 है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपनी—अपनी आराजीयात पर काबिज हैं किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात का जो नक्शा ट्रेस बना है उसके अनुसार उक्त आराजी का नाम 3.72हैक्टर के बजाय नक्शा ट्रेस के अनुसार 4.26हैक्टर के लगभग होता है तथा नाप अधिक होने से राजस्व नक्शे व मौके की स्थिति व जमाबंदी के नाम में अन्तर आता है तथा जिसके कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के हक प्रभावित होते है अप्रार्थीगण संख्या 1 अथवा अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति को यह अधिकार हासिल नही है कि वे बिना किसी आधार के या बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिकी के आराजीयात के नक्शे को बदल सके अथवा ऐसा कोई कार्य करे जिससे की आराजीयात की लम्बाई चौडाई अथवा स्थिति इत्यादि में कोई परिवर्तन हो अथवा उस स्थान में परिवर्तन हो जहां कि प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे है अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा जो नक्शा अप्रार्थी संख्या 2 का बनाया गया है उसमें बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी के आदेश के मौके की स्थिति के विपरीत परिवर्तन किया गया है तथा अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 की जमीन का नाप उसकी जमाबन्दी के नाम से अधिक कर दिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के पड़ोसी है की जमीन की स्थिति बदलती है तथा उनके हक प्रभावित होते है। राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मे जो गलती राजस्व अधिकारीयो द्वारा की गयी है वह लापरवाही बरतते हुए की गई है तथा जिस कारण प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी की अराजीयात से कागज रूप से बेदखल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसे कि दुरूस्त किया जाकर मौके पर जमाबन्दी के नाप के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नक्शे की तरमीम किया जाना आवश्यक है जिस कारण तरमीम दुरूस्ती हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब हेतु कई अवसर देने पर भी जवाब प्राप्त नही हुआ अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सावर–पैरोकार सरकार ने अपने पत्र कमांक/भू.अ./2022/3267 दिनांक 20.04 2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. [illegible]ग्राम गोरधा के आराजी खसरा नंबर 1337/1539 रकबा 3.72हैक्टर जतनकवर पत्नी [illegible]न्द्र प्रताप सिंह राजपूत के नाम दर्ज है जिसका राजस्व नक्शे में रकबा बराबरी करने [illegible] रकबा लगभग 4.26हैक्टर बनता है व मौके अनुसार रकबा 3.72हैक्टर बनता है अतः उक्त खसरा का रकबा मौके अनुसार सही है परन्तु राजस्व नक्शे मे ज्यादा बनता है।
2. खसरा नंबर 1337/1538 रकबा 2.42हैक्टर हेमेन्द्र सिंह पुत्र भुपेन्द्र सिंह राजपूत के नाम दर्ज है जो राजस्व नक्शे की खसरा 1337/1539 के लगवा उतर दिशा में स्थित है व खसरा नंबर 1337/1538 के उतर दिशा में स्थित है।
3. अतः बिदुं संख्या 1 अनुसार राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 1337/1539 की तरमीम रकबा 3.72 में आंशिक होने से प्रार्थीगण के आराजी 1337/1538, 1337, 1574/1337 प्रभावित हो रहे है जिनका मौके अनुसार प्रस्तावित तरमीम लाल स्याही से दर्शाकर संलग्न है उपरोक्त मौके रिपोर्ट प्रस्तुत कि है।
4. मौके अनुसार खसरा नंबर 1574/1337 के जगह 1337/1527 स्थित है व 1337/1527 की जगह 1574/1337 स्थित है व खसरा नंबर 1573/1337 खसरा नंबर 1337/1512 के पूर्वी दिशा में 1337/1512 के अन्दर स्थित है मौके अनुसार प्रस्तावित खसरो की तरमीम कर दिये जाने पर सभी प्रभावित काश्तकार सहमत है व प्रभावित राश्तकारो के सहमति हेतु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर लिये गये।

तहसीलदार सावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रार्थी के दस्तावेज मौका पर्चा, भु.अ.नि. पिपलाज द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सावर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गोरधा की आराजी खसरा नंबर 1337/1539 की तरमीम रकबा 3.72 में आंशिक होने से प्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबर 1337/1538, 1337, 1574/1337 प्रभावित हो रहे है जिनका मौके अनुसार प्रस्तावित तरमीम लाल स्याही से मौका रिपोर्ट में दर्शाया है मौके अनुसार खसरा नंबर 1574/1337 के जगह 1337/1527 स्थित है व 1337/1527 की जगह 1574/1337 स्थित है व खसरा नंबर 1573/1337 खसरा नंबर 1337/1512 के पूर्वी दिशा में 1337/1512 [illegible] स्थित है मौके अनुसार प्रस्तावित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

खसरो की तरमीम कर दिये जाने पर सभी प्रभावित काश्तकार सहमत है व प्रभावित काश्तकारो के सहमति हेतु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर लिये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा 1337 / 1539 रकबा 3.72 हैक्टर की तरमीम प्रस्तावित लाल स्याही अनुसार दुरूस्त किया जावे तथा इससे प्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबर 1337 / 1538, 1337, 1574 / 1337 प्रभावित हो रहे को मौके अनुसार प्रस्तावित तरमीम लाल स्याही से दर्शित अनुसार दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार सावर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
केकड़ी,

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 11:34:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner